जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 19.07.2022

थाना कैराना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना कैराना / मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन द्वारा चोरी के मामले में 03 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते मा 0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा , साथ ही 2000,2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गयाः-

वर्ष 1998 में थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त वहीद उर्फ मिद्दा पुत्र मुन्ना कुरैशी निवासी मौहल्ला छडीयान थाना कैराना। 2.इस्लाम पुत्र नाधा निवासी उपरोक्त। 3.शकील पुत्र निशार निवासी उपरोक्त जनपद शामली के द्वारा वादी इस्लाम पुत्र नव्वा निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली के चोरी की गई थी। जिसके संबंध में वादी निवासी उपरोक्त द्वारा थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु 0अ0सं0 111/1998 धारा 379 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तो को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कैराना पुलिस द्वारा समस्त कार्यवाही तेजी से पूर्ण कर माननीय न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना कैराना / मॉनिटरिंग सेल / अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज दिनांक 19.07.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई जेल मे बिताई गई अवधि की सजा व 2000,2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा जुर्माना अदा न करने पर 10,10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

नाम व पता अभियुक्तः-

1 वहीद उर्फ मिद्दा पुत्र मुन्ना कुरैशी निवासी मौहल्ला छडीयान थाना कैराना जनपद शामली।

2 इस्लाम पुत्र नाधा निवासी उपरोक्त।

3 शकील पुत्र निशार निवासी उपरोक्त।